महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा जारी की तिथि 15.11.2019
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय
दिनांक 22.11.2019 समय अपरान्ह् 2.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि एवं समय
दिनांक 22.11.2019 समय अपरान्ह् 3.00 बजे
निविदा शुल्क 400/-
अनुमानित लागत : रूपये 9.00 लाख
अमानत राशि रूपये 18,000/-

निविदा प्रपत्र

कुलसचिव,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर ।

विषयः- 03 दिसम्बर, 2019 को विश्वविद्यालय में नवम दीक्षान्त समारोह हेतु टैन्टेज (मंच, पण्डाल) मय लाईट, पंखें, ए.सी., कुर्सियों-कनात इत्यादि की व्यवस्था हेतु निविदा।
सन्दर्भः- विश्वविद्यालय की निविदा सूचना क्रमांक......................दिनांक

1. निविदा शुल्क की रकम रू. 400/- जमा करा दी गई है, रसीद संख्या.......................... दिनांक............. संलग्न है।
2. निविदा सूचना संख्या दिनांक जो आपके द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, का भी हम पालन करने के लिये सहमत हैं (समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं)
3. कार्यादेश (फर्म आर्डर) प्राप्त होने की तारीख से..................................दिवस की अवधि के भीतर में कार्य कर दिया जायेगा ।
4. बयाना (अर्नेस्ट मनी) हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 18000/- का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या........................... दिनांक......................... प्रस्तुत है ।
5. वित्तीय बिड में अंकितानुसार कार्य एवं सामान व मजदूरी एंव समस्त व्ययों सहित दरें अंकित कर दिया गया है ।
6. निर्धारित घोषण पत्र संलग्न है।
7. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र/चुकता प्रमाण पत्र संलग्न दिया गया है।
8. टिन नम्बर एवं आयकर पेन नम्बर संलग्न है।
9. निर्माता/डीलरशीप आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म का नाम...
एवं डाक का पूरा पता...
पता...
....

संलग्न उपरोक्तानुसार

मोबाईल नं0 ....

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

1. निविदा टेन्ट संबंधी कार्य करने वाले अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायियों से आमंत्रित की जाती है। निविदादाता का स्वयं का टेन्ट व्यवसाय एवं पर्याप्त संसाधन होने चाहिये।
2. निविदादाता फर्म के पास राजकीय विश्वविद्यालयों के कम से कम तीन दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु टेन्ट व लाईटिंग संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था करने का अनुभव भी होना आवश्यक है।
3. निविदा प्रारूप में दरों का अंकन शब्दों व अंकों दोनों में किया जाना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से करनी चाहिए तथा उस पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. अंकों एवं शब्दों में अंकित दरों में अन्तर होने की स्थिति में सबसे कम दर को मान्य किया जायेगा।
5. फर्म के पास डोम संरचना में वाटरप्रूफ टेन्ट लगाने का अनुभव एवं संसाधन होना आवश्यक है।
6. फर्म को कार्यादेशानुसार एवं इस हेतु गठित समिति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा एवं समस्त कार्य दीक्षान्त समारोह से एक दिवस पूर्व दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को होने वाली रिहर्सल से पूर्व पूर्ण करना होगा।
7. निविदा में दी गई दरों में सभी प्रकार के सामान का किराया एवं उसका लाना, लगाना तथा समारोह के पश्चात् सामान को हटाना व वापिस ले जाना, इत्यादि सभी कार्य शामिल हैं। सभी सामान की सुरक्षा एवं उसकी चौकीदारी की जिम्मेदारी भी निविदादाता की ही होगी । इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
8. निविदादाता को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे धूप, तेज वर्षा (वाटर प्रूफ) हवा, आंधी इत्यादि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंडाल को सभी दृष्टि से पूर्णरूपेण मजबूत एवं सुरक्षात्मक बनाना होगा ताकि समारोह के दौरान एकाएक किसी प्रकार का व्यवधान, दुर्घटना उत्पन्न न होवे । कार्य प्रारम्भ करने से लेकर एवं पंडाल लगाने के बाद से समारोह समाप्ति तक निविदादाता के कम से कम 10 कार्मिक तकनीकी स्टाफ पांडाल में ही मौजूद रहेंगे, जिन्हें प्रत्येक दिन तीन बार (सुबह, दोपहर और सायं) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध हो सकें ।
9. विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में नजदीकी इलेक्ट्रिक पाइन्ट उपलब्ध करवा दिया जावेगा, उसके आगे की समस्त वायरिंग आवश्यकतानुसार पूरे पांडाल में पूर्ण सुरक्षात्मक तरीके से दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत विद्युतकर्मी के द्वारा सभी सुरक्षात्मक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निविदादाता को ही सुनिश्चित करनी होगी। विद्युत व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा । समस्त वायरिंग को सावधानीपूर्वक लगाना होगा। फर्श पर होने वाली वायरिंग को टेप (इंसुलेशन) लगाकर सुरक्षित करना होगा।
10. विद्युत कार्य संबंधी लापरवाही/असावधानी (स्पार्किंग) आदि से होने वाली दुर्घटना के लिए निविदादाता की ही ज़िम्मेदारी होगी। इस तरह की दुर्घटना के परिणामस्वरूप यदि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति अथवा जान–माल की कोई क्षति होती है तो उसकी समस्त क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा की जावेगी।टेन्ट सामग्री के कराए जाने वाले बीमें की राशि का भुगतान भी फर्म द्वारा ही किया जावेगा।
11. समस्त सामान एकदम साफ सुथरा व नया तथा मजबूत ही प्रयोग में लेना होगा, गन्दा, फटा हुआ अथवा पैबन्द लगा हुआ या पुराना नहीं लगाया जा सकेगा, अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा।
12. पीने के पानी की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा परन्तु पीने के पानी के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर टेबिल मय सफेद साफ कवर उपलब्ध कराना होगा।
13. पांडाल में लगाये गये एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये समस्त सामान का सत्यापन पंडाल निरीक्षण समिति के प्रमाणीकरण बाद ही तद्नुसार बिल का भुगतान संभव होगा ।
14. समारोह की व्यवस्था एवं समारोह के दौरान निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी की गलती से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार क्षति/आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली निविदादाता की सुरक्षा राशि तथा आवश्यकता पड़ने पर बिल की राशि से की जा सकती है।

15. समस्त कार्य संतोषप्रद सम्पन्न होने की स्थिति में ही पांडाल निरीक्षण समिति के सत्यापन के आधार पर बिल का भुगतान किया जा सकेगा ।
16. किसी भी प्रकार की विवादस्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
18. निविदा में अंकित दर/व्यय में अनुमोदन बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
19. किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी कुलसचिव को आरक्षित है ।
20. न्यूनतम दर/व्यय पर कार्य कराने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।
21. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा अजमेर स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
22. सफल निविदाकार को दरों के अनुमोदन पश्चात् तीन दिवस में 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। इसके अभाव में अमानत/बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
23. कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में निम्न प्रकार से शास्ती राशि संवेदक के बिल से वसूली योग्य है:–
    1. निर्धारित समय से ¼ अवधि विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत
    2. निर्धारित समय से ¼ अवधि से अधिक व ½ अवधि तक 5 प्रतिशत
    3. निर्धारित समय से ½ अवधि से अधिक व ¾ अवधि तक 7½ प्रतिशत
    4. निर्धारित समय से ¾ अवधि से अधिक के लिये 10 प्रतिशत
24. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में तथा पूर्णरूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में कुलपति महोदय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती बिल की राशि में से/धरोहर राशि में से की जावेगी।
25. यदि किसी परिस्थितिवश सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश मिलने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थ रहता है तो नियमानुसार सुरक्षा राशि/बयाना राशि जब्त की जावेगी।
26. सफल निविदाकार द्वारा कार्य सम्पन्न न करने की स्थिति में निविदाकार की रिस्क एवं कोस्ट के आधार पर कार्य अन्य से कराने पर हुए अधिक भुगतान की वसूली भी निविदाकार की जावेगी।
27. सफल निविदाकार को दरे अनुमोदित होने के तीन दिवस में अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी जिसमें बयाना राशि के रूप में जमा राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
28. कारपेट की दरें भरते समय प्रति कारपेट व साईज का अंकन अवश्य किया जाना है।
29. लाईटे निर्धारित स्थान पर दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत लाईटमैन द्वारा लगाई जावेगी किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
30. कार्यादेश में अंकित सामग्री आदेश देने के पश्चात् दीक्षान्त समारोह की निर्धारित तिथि 01.08.2018 से 07 दिवस पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुँचाकर कार्य प्रारम्भ कर कार्य प्रारम्भ कर एवं निर्धारित अवधि में व्यवस्था करनी होगी। सामग्री उतारने व लगाने में कोई दुर्घटना, चोरी आदि से हुई हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, उचित यही होगा कि निविदादाता टेन्ट लाईट सामग्री आदि का बीमा अपने स्तर पर करवा लेवे इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।
31. कार्य समाप्त होने पर निविदादाता द्वारा लगाए गए श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों के अन्तर्गत पूर्ण भुगतान करने का प्रमाण पत्र देना होगा तथा बाल श्रमिक नहीं लगायेंगे।
32. प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री (सोफा, कुर्सियां, स्टील कुर्सियां एवं टेबल इत्यादि) नई, मजबूत एवं साफ–सुथरी, समारोह की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। सामग्री, उपकरण इत्यादि समारोह की गरिमा के अनुरूप नहीं पाये जाने पर तुरन्त बदलने होंगे।
33. नियमानुसार करो की कटौती बिल से की जावेगी।
34. सामान्यतया बिड की समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि के आधार पर न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण किया जावेगा। फिर भी क्रय समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी।
35. वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 04 में अंकित मात्रा अनुमानित है इसमें आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

36. कार्यक्रम के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर व जनरेटर को चलाने की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तुरन्त जनरेटर को चालू करना होगा।

37. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड करने की स्थिति में निविदा फॉर्म के शुल्क की राशि का ड्राफ्ट जो कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर को देय हो संलग्न करना होगा।

38. वित्तीय बिड का लिफाफा अलग से बन्द कर उस पर वित्तीय बिड अंकित करना आवश्यक है। निविदादाता को पृथक–पृथक सील्ड लिफाफों में पृथक तकनीकी बिड व वित्तीय बिड देनी होगी। दोनों लिफाफे को पृथक से अन्य लिफाफे में सील्ड करके लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित भी करना होगा।

39. तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने वाले निविदादता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

40. जनरेटर सैट के डीजल उपयोग के लिए हावर्स (घण्टे) प्रभारी अधिकारी को समय–समय पर नोट कराना होगा तथा संलग्न लॉग बुक भी संधारित करनी होगी। उसी के सत्यापन के आधार पर ही डीजल की सरकारी दर से राशि का भुगतान होगा।

41. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम 2013 की शर्तों एवं विश्वविद्यालय बजट एवं लेखा नियम 1997 की अन्य सभी शर्तें लागू होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम..

एवं डाक का पूरा पता...

पता...

....

मोबाईल नं0 ....

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्था/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय शील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाय तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड़ को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता व मो. नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

तकनीकी बिड

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 03.12.2019 को आयोजित होने वाले नवम दीक्षान्त समारोह हेतु टेन्ट व्यवस्था बाबत।

निविदादाता द्वारा निम्न सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

1. निविदादाता यथा संस्था, फर्म या ऐजेन्सी संबंधित कार्य के लिए सक्षम निकाय से पंजीकृत होना चाहिए, नवीनतम पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है।
2. निविदादाता को इस प्रकार के कार्य करने का कम से कम 03 राजकीय विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु टेन्ट संबंधित व्यवस्था करने का अनुभव भी होना चाहिए तथा लगाई जाने वाली सामग्री का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिये। स्व–प्रमाणित घोषणा संलग्न करें।
3. बयाना/अमानत राशि रू. ....रसीद नं. ....दिनांक....................... संलग्न होनी चाहिए।
4. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं क्लीरियंस सर्टिफिकेट, टिन नम्बर व पेन नम्बर संलग्न किया जाना है।)
5. निविदा फर्म/कम्पनी है तो कम्पनी पंजीयन प्रमाण पत्र तथा साझेदारी फर्म है तो साझेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।

कुलसचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदाकार के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वित्तीय बिड

क्र0सं0 1	कार्य का विवरण 2	Qty (Estimated) 3	Unit (FOR M.D.S. Uni. Ajmer Rate) 4	Rate per item per day to be Quoted (including all Charges & GST Extra) 5	Amount 6
1	P&F and Removing of Doe Type water proof super structure with new white cloth for sitting area Convocation ground 140' x 80'	11200	Sqft.		
2	Generator Set 125 KVA Silent without POL/Diesel	3.00	Nos.		
3	Disel for generator	Per Hours Diesel			
4	Helogen Light 500 Watt 1000 Watt	60.00	Nos.		
5	Metal Light 400 Watt	25.00	Nos.		
6	Border Bulb for Building Decoration	4000.00 (Bulb)	Nos.		
7	Cable 4 Core 25 mm 50 Mtr. long	15.0	Nos.		
8	Pipe pandal water proof	4500.00	Sqft.		
9	Curtain Cloth (View Cutter)	3600.00	Sqft.		
10	Wooden Table with Cover and Frill 6' x 2'	40.00	Nos		
11	One Dies for seven persons with leather chair and with Blue Blezer	01.00	Nos		
12	Pyramid Shape water Proof canopy 15' x 15' Ft for Hi-tea	6.00	Nos.		
13	Round table with Cover and Frill for Hi-tea 4' dia Radius 2'	10.00	Nos.		
14	Welcome Gate of Truss 9x9 Having size of 12x12 with tri colour cloth	2.00	Nos.		
15	Ply Stage for Bom, Syndicate and senet Members 12x24 ft. with carpet frill and steps	2.00	Nos.		
16	Dressing Table 4' x 2'	2.00	Nos		
17	Center table with cover 4' x 2'	4.00	Nos		
18	Wooden high back paded chair with red velvet seat cover chair for His Excellency the Governor	2.00	Nos.		
19	Tower A.C./ Three Ton	9.0	Nos		
20	Celling Fan 48"	70.00	Nos		
21	Pedestal Fan	20.00	Nos		
22	50 mm 6 mtr. long Galvanized	100.00	Nos.		

	iron pipe with coloured silk flag				
23	White leather sofa (Two Chair Set)	50.00	Nos.		
24	Non-Woven Synthetic New Carpet (Red/Green)	10000.00	Sqft.		
25	Benquet chair with white Synthetic cover (Steel pipe peded chair with while cover)	1000.00	Nos.		
26	Woolen Carpet Size	3200.00	Sqft.		
27	Mobile toilet for V.I.P. 4.5' x4.5' x 5.5'	02	Nos.		
28	मंच पर माँ सरस्वती की मूर्ति का पेडस्टल, लाईट लेम्प, घी बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती, माचिस, माला इत्यादि की समस्त व्यवस्था करनी होगी।				
29	Speech Stand with Light Podium.				
30	माँ सरस्वती की प्रतिमा				
31	वी.वी.आई.पी व्यक्तियों हेतु सफेद टॉवेल, पीछे बैठने हेतु क्युशन गद्दी तथा प्लास्टिक की नेम प्लेट्स इत्यादि।				
32	परिसहाय हेतु एक छोटा स्टूल एवं स्ट्रेट कुर्सी				

उक्त दरों व संलग्न शर्तों के अनुसार कार्य करने की सहमति देता हूँ। उक्त सभी दरें जी.एस.टी. के अतिरिक्त, समस्त व्ययों एवं एफ.ओ.आर. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम...

एवं डाक का पूरा पता...

पता...

....

मोबाइल नं0 ....

Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:

Any person participating in the procurement process shall –

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse in any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct ant investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any; and
h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common ; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity a engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure – B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... For procurement of .... In response to their Notice Inviting Bids No. SP – 20 Dated 02.03.2016, I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administration by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition; Date Signature of bidder Place Name: Designation: Address:

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure – C : Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filling as appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the field only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The Officer to who as appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the official designated under para (1) filed to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality;

(5) From of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority and for second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for the first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure – D: Additional Conditions of Contract

1- Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid dose not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and condition of the Bid and the condition of contract.

ii. If any procuring Entity dose not procure any subject matter of procurement of procures less than the quantity specified in the Bidding Document due the change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be fee to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.